



बिहार सरकार
कृषि विभाग

किसान सलाहकार के चयन हेतु विज्ञापन सूचना

कृषि विभाग बिहार सरकार के अन्तर्गत आरक्षण रोस्टर के अनुसार कुल 1710 रिक्त किसान सलाहकार का चयन हेतु जिलावार ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। चयन हेतु कार्यक्रम निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	कार्यक्रम	समय
1.	ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त करने की प्रारंभिक तिथि	25.07.2014 से
2.	ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	11.08.2014 तक
3.	प्रारूप मेधा सूची का प्रकाशन	18.08.2014 तक
4.	प्रारूप मेधा सूची पर आपत्ति संबंधी आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	25.08.2014 तक
5.	मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन	01.09.2014 तक
6.	चयन संबंधी पत्र का प्रेषण	08.09.2014 तक
7.	सहमति पत्र पर हस्ताक्षर	12.09.2014 तक

किसान सलाहकार के चयन हेतु रिक्ति से संबंधित विस्तृत जानकारी कृषि विभाग के वेबसाईट Krishi.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

(रामजी सिंह)
संयुक्त सचिव, कृषि विभाग



बिहार सरकार
कृषि विभाग

किसान सलाहकार चयन विज्ञापन

राज्य सरकार द्वारा किसान सलाहकार योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायत स्तर पर प्रगतिशील किसानों को सलाहकार के रूप में चयनित कर उन्हें कृषि प्रसार तंत्र के साथ जोड़ना है। योजना अन्तर्गत विहित प्रावधान एवं शर्तें निम्न प्रकार है।

1. किसान सलाहकार स्वयं एक प्रगतिशील किसान होंगे। किसान सलाहकार के लिए चयन हेतु आवेदक को एक शपथ पत्र समर्पित करना होगा जिसमें पूर्णकालिक रूप से कृषि कार्य करने की धोषणा होगी।

2. किसान सलाहकार के चयन में कृषि स्नातक किसान को प्राथमिकता दी जायेगी। अगर ऐसे अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्त होंगे तो इनका चयन किया जायेगा। अगर कृषि स्नातक किसान आवेदक नहीं है तो आई0एससी0 (कृषि) योग्यता वाले किसान को प्राथमिकता दी जायेगी। उक्त दोनों के बाद ऐसे किसान, जो आई0एससी0 उत्तीर्ण हैं एवं राष्ट्रीय सम विकास योजना/सदृश योजना अन्तर्गत राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय/राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के अधीन अन्य संस्थानों/कृषि विज्ञान केन्द्रों में न्यूनतम 45 दिनों के लिए किसान सलाहकार/किसान मित्र का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, को प्राथमिकता दी जायेगी ताकि पूर्व में प्रशिक्षित आवेदकों का उपयोग कृषि कार्यक्रमों में तुरत किया जा सके। राष्ट्रीय सम विकास योजना या सदृश योजना में न्यूनतम 45 दिनों के लिए प्रशिक्षण प्राप्त होने का प्रमाण संबंधित आवेदक को प्रस्तुत करना होगा।

कृषि स्नातक/आई0एससी0 (कृषि)/आई0एस0सी0 प्राप्तांक के आधार पर आवेदकों की मेधा सूची तैयार की जायेगी।

चयन किये जाने वाले वर्ष के 1 अगस्त को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 64 वर्ष होगा। इनका सेवा अधिकतम 65 वर्ष उम्र सीमा तक होगी।

3. किसान सलाहकार के चयन हेतु संबंधित जिला के निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी। एक अभ्यर्थी एक ही जिला में आवेदन कर सकते हैं।

4. किसान सलाहकार के उम्र के संबंध में मैट्रिक का प्रमाण पत्र मान्य होगा।

5. सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति किसान सलाहकार नहीं हो सकते हैं।

6. किसान सलाहकार के पद पर चयन हेतु ऑन लाईन आवेदन कृषि विभाग के वेबसाईट Krishi.bih.nic.in पर उपलब्ध होगा।

7. किसान सलाहकार का चयन निम्न प्रकार से गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

I. जिला पदाधिकारी— अध्यक्ष

II.परियोजना निदेशक, आत्मा— सदस्य

III.जिला उद्यान पदाधिकारी— सदस्य

IV.जिला पदाधिकारी, द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधि—सदस्य

